कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.11.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–17 व्यक्तियों को अन्र्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. श्याम कली पत्नी ननकऊ सिंह नि0 माना देव पुरवा घॅाचा बीकापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–361/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दीपू सोनकर पुत्र छतुर सोनकर नि0 किम्भी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–455/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुरेश पासवान पुत्र सिनाऊ पासवान नि0 सैजलपुर पासी पुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–417/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सोनू पुत्र श्याम किशोर शुक्ला नि0 दिनई पुरवा चचेरा थाना कटरा कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–280/20, 02. बच्चा राम पुत्र गबोधर नि0 धोबिन टेपरा मौजा **चौदहा** मेटुकहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–281/20, 03. मलखान पुत्र बक्षराज नि0 **नौशहरा** जयराम जोत थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–282/20, 04. सनोज पुत्र रामू पाल नि0 कुर्मी बरवलिया थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–283/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना कौड़िया पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त जमुना प्रसाद तिवारी पुत्र जीवनलाल नि0 तिवारी पुरवा झौहनहा पूर्वी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को थाना कौड़िया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–193/20, धारा 308.323.325.427.504 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 19.09.2020 को पुरानी रंजिश के चलते वादी सोनू पुत्र सूर्यप्रसाद तिवारी नि0 तिवारी पुरवा झौहनहा पूर्वी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के भाई दीपक कुमार को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था। जिससे वादी का भाई मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त, अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. लाल नायक शुक्ला पुत्र स्व0 दीना नाथ शुक्ला नि0 तुल्ला मुरावन पुरवा परेड सरकार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–840/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक को0 नगर मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को राजेन्द्र लहडी **चौराहे** के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0–793/20, धारा 376.354.504.506.342 भादवि व 3/4, 7/8 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर में वांछित चल रहा था। अभियुक्त को थाना को0 नगर में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. आलोक राव, प्रभारी निरीक्षक को0 नगर।
02. व0उ0नि0 बृजानन्द सिंह।
03. उ0नि0 राजेश कुमार मिश्रा।
04. का0 रामदास।
05. का0 सतवंत शर्मा
06. का0 संजय कुमार।

150 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. असगर अली पुत्र बालादीन नि0 विष्णु पुरी कालोनी सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–841/20, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 150 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 01.11.2020 को थाना को0 नगर के उ0नि0 सुभाष यादव मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को कृष्णा गेस्ट हाउस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 सुभाष यादव।
02. का0 जयप्रकाश यादव।
03. का0 रामकिशुन प्रजापति।

थाना मनकापुर पुलिस ने 20,000/– के इनामिया गैंगेस्टर को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. रमेश उर्फ बुच्चे पुत्र जवाहिर नि0 जैदवा पचपुती जगतापुर थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–
01. मु0अ0सं0–242/16, धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–405/18, धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–308/19, धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–142/19, धारा 60/60(2),72 आबकारी अधि0, 272.273 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–329/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–364/20, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–
जनपद गोण्डा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना मनकापुर को बडी सफलता प्राप्त हुई।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना मनकापुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। **उक्त अभि0 मु0अ0सं0 364/20 धारा 3(1)यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा में वांछित चल रहा था।** जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 20,000/- रू0 का पुरस्कार घोषित किया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री संजीव कुमार।
02. का0 विकास उपाध्याय।
03. का0 जितेन्द्र कुमार।
04. का0 इन्द्रपाल सिंह।